

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री नन्दलाल

विपक्षी :- राज्य

कैसम मुकदमा - 136 भूरा.अधि.

पत्रावली संख्या : 10/16

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी रामा सुन्दार जारी की गई
	<p>दिनांक 31.01.2020</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। उभय पक्षकारान को सुना गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम लालु गलत अंकित होना बताया जिसे दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम विरासत से गलत नहीं दर्ज हुआ है बल्कि भू प्रबन्ध विभाग सेटलमेन्ट बन्दोबस्त में भी लालु दर्ज है, इसलिए नाम परिवर्तित नहीं किया जा सकता हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2068-71, ग्राम पंचायत दुढियां द्वारा जारी प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में प्रार्थी का नाम नन्दलाल अंकित है।</p> <p>प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी का नाम लिपिकिय त्रुटि से गलत होने का तथ्य साबित कराने में असफल रहा है। राजपैरोकार द्वारा अपने जवाब में अंकित किया है कि भू प्रबन्ध विभाग मिसल बन्दोबस्त में भी प्रार्थी का नाम लालु ही अंकित हैं। अतः इससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी का शुरू से ही नाम राजस्व रेकार्ड में लालु दर्ज हैं जो कि किसी लिपिकीय त्रुटि गलत होना पाया नहीं जाता हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भूरा.अ. में पोषणीय नहीं हैं। प्रार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकता हैं। प्रार्थी द्वारा चाही गई दाद इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से नहीं दी जा सकती हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भूरा.अ. में पोषणीय नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता</p> <p style="text-align: center;">-: आदेश :-</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p>	



Ashay
(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली